

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.1-2/2018-हिं.अ.

दिनांक: 28.06.2018

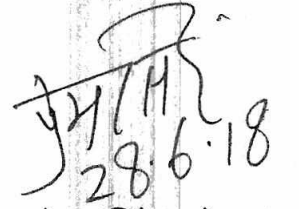
**विषय: संस्थान में हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट
(दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2018 तक)।**

संस्थान में विभिन्न विभागों/अनुभागों/केन्द्रों के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2018 तक की अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट दिनांक 05 जुलाई, 2018 तक हिंदी अनुभाग में भेजनी अपेक्षित है। इस रिपोर्ट में यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी सभी प्रकार से सही, संगत और पूरी है।

अतः अनुरोध है कि आपके विभाग/अनुभाग/केन्द्र से संबंधित उपर्युक्त अवधि की हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में भरकर हिंदी अनुभाग को दिनांक 05 जुलाई, 2018 तक अवश्य प्रेषित कर दी जाए ताकि यह रिपोर्ट समेकित करके निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात समय से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत की जा सके।

कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।


(प्रेम सिंह तोमर)

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

फोन: 2659-4863

वितरण:

1. प्रशासन अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.)
2. प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ
3. प्रशासन अधिकारी, सम्पदा अनुभाग
4. प्रशासन अधिकारी, सामान्य अनुभाग

जारी--2/-

5. प्रशासन अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग
6. प्रशासन अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय (अस्प.)
7. प्रशासन अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र
8. प्रशासन अधिकारी, डॉ.रा.प्र.केन्द्र
9. प्रशासन अधिकारी, डॉ.बी.आर.अ.सं.रो.कें.अ.
10. प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, (गाजियाबाद)
11. प्रशासन अधिकारी, जे.पी.एन.ए.ट्रॉमा केन्द्र
12. प्रशासन अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र
13. प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ
14. प्रशासन अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ
15. प्रशासन अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ
16. प्रशासन अधिकारी, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ
17. प्रशासन अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ
18. प्रशासन अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ
19. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ
20. लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट अनुभाग
21. लेखा अधिकारी, ऑडिट अनुभाग
22. लेखा अधिकारी, पेंशन प्रकोष्ठ
23. लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग
24. लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग
25. लेखा अधिकारी, वर्क्स-ऑडिट अनुभाग
26. लेखा अधिकारी, एम.एस.यू.
27. प्रशासन अधिकारी, (आउटरीच ओ.पी.डी., एम्स दिल्ली एक्सटेंशन, झज्जर)
28. कुल-सचिव, शैक्षिक अनुभाग
29. सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग
30. वरिष्ठ भंडार अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.)
31. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा कार्यालय
32. अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग
33. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय
34. प्रभारी अधिकारी, कंप्यूटर सुविधा
35. प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क प्रभाग

प्रतिलिपि: प्रभारी अधिकारी (कंप्यूटर सुविधा) - इस अनुरोध के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

संजय गुप्ता

संजय

संजय गुप्ता
2/6/2018
2/2/18

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट
Quarterly Progress Report Regarding Progressive Use of Official Language Hindi in Ministries/ Departments/Attached and Subordinate Offices/PSUs/Autonomous Bodies etc. of Central Government

.....को समाप्त तिमाही/ Quarter ending on.

भाग-I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)/Part - I (To be furnished at the end of each Quarter)

कार्यालय का नाम और पूरा पता/ Name and full postal address of the Office _____

संबंधित नोडल राजभाषा अधिकारी का फोन नं./ Phone No. of the Concerned Nodal Official Language Officer : एस.टी.डी. कोड/STD Code _____ फोन नं./Tel. No _____
ई-मेल/E:Mail _____

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात/ Documents issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963

		कुल संख्या / Total No.	द्विभाषी / Bilingual	केवल अंग्रेजी में / In English only
(क)	सामान्य आदेश / General orders			
(ख)	अधिसूचना / Notifications			
(ग)	प्रेस विज्ञप्तियां / टिप्पणियां / Press Communiques / Releases			
(घ)	संविदाएं / Contracts			
(ङ.)	करार / Agreements			
(च)	लाइसेंस / Licenses			
(छ)	परमिट / Permits			
(ज)	टेंडर के फार्म और नोटिस / Notice and forms of tenders			
(झ)	संकल्प / Resolutions			
(ञ)	नियम / Rules			
(ट)	संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागजात (रिपोर्टों के अलावा) / Official papers laid before a House or both the Houses of Parliament (Other than Reports)			
(ठ)	संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट / Administrative & other Reports laid before a House or both the Houses of Parliament.			
(ड.)	प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें (संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा) / Administrative or other Reports (Other than those laid before a House or both the Houses of parliament.)			
	कुल			

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)/ Letters received in Hindi (Official Languages Rule 5)

- (क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या/Total no. of letters received in Hindi _____
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए/How many letters replied against these in Hindi _____
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए/How many letters replied against these in English _____
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे/No. of letters not expected to be replied _____

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)/ Status regarding letters received in English & replied in Hindi (Applicable to offices located in 'A' & 'B' region)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या / No. of letters received in English	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए/ How many letters replied against these in Hindi	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए / How many letters replied against these in English	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे/ No. of letters not Expected to be replied	हिंदी पत्रों का प्रतिशत/ Percentage Of Hindi Letters
	1	2	3	4	5
'क' क्षेत्र से/ From region 'A'					
'ख' क्षेत्र से/ From region 'B'					

4. भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा/Details of original letters issued

		हिंदी में / In Hindi	अंग्रेजी में / In English	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या / Total No. of letters issued	हिंदी पत्रों का प्रतिशत / Percentage Of Hindi Letters
(क)	"क" क्षेत्र को/ To Region "A"				
(ख)	"ख" क्षेत्र को/ To Region "B"				
(ग)	"ग" क्षेत्र को/ To Region "C"				

नोट:-

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां / (During quarterly) number of Notings on files/documents*

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या / No. of pages with Notings in Hindi

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या / No. of pages with Notings in English

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या / No. of pages of total Notings

* पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए / Counting of no. of pages should be done in full marks and half marks only.

6. कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन संबंधी / Regarding meeting of the Official Language Implementation Committee of the office

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि / Date of the meeting of Official Language Implementation Committee

(ख) बैठक से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए ?

हां/नहीं

Whether the agenda or the minutes of the meeting were issued in Hindi ?

Yes / No

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है/
The above said information has been prepared on the basis of available records and is true to my knowledge.

सम्बद्ध केन्द्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष/सम्बद्ध अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of the concerned Chairperson of the O.L.I.C of the Center/ Section Officer

नाम/Name

पदनाम/Designation

फोन नम्बर/Telephone No.

मोहर/Seal

नोट: 1. यह रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जाएगी। कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।